

परियोजना का नाम:- मसूरी सीवरेज योजना

49

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु
आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

प्रयागी एजेंसी

आसिफगढ़ अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी (देहरादून)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी (देहरादून)

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी

संलग्नक- 30

परियोजना का नाम-जनपद देहरादून में मसूरी नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून) कटुम्ब विहार, ग्राम व पो0 सिनोला, देहरादून के स्वामित्व वाली कैमल्स बैंक रोड, मसूरी में रौक विलफ इस्टेट (वन स्वरूप) वन भूमि कुल 1650.00 वर्ग मी0 अर्थात् 0.1650 हे० अपेक्षित वन स्वरूप भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण, मसूरी को वन स्वरूप भूमि के भू-प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के अनुपालन में भूमि का सीमांकन का प्राक्कलन मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

1	आर.सी.सी0पिलर लगाना मध्य समस्त सामग्री	0.10 x	0.10 x	1 m	30 Piller @250/-	7500.00
2	आर.सी.सी0पिलरों का गहड़ा खुदान	0.20 x	0.30 x	0.30 x	30 Piller L.S	7500.00
3	आर.सी.सी0पिलरों का सीमेंट के साथ गाढ़ना				30 Piller L.S	7500.00
					Total-	22500.00

उप-प्रभागीय वनधिकारी (देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

प्रभागीय वनधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग